न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 07/2018
दायर दिनांकः 26.03.2018
निर्णय दिनांक 03.02.2025

—: अनवान :—

श्री रामदेवजी महाराज मन्दिर, मण्डला भीम शाश्वत नाबालिग जरिये प्रतिनिधि/उपासक पेमाराम पिता टीलाराम जी सालवी उम्र 69 वर्ष, निवासी मण्डला भीम तहसील भीम, जिला राजसमन्द **— प्रार्थी/निगराकार**

बनाम

1. ग्राम पंचायत भीम जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत भीम
2. दुर्गाप्रसाद पिता कल्लाराम सालवी निवासी बागमाल, तहसील टाटगढ जिला अजमेर हाल निवासी धर्मेशपुरी भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द

— गैर निगराकारगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 पट्टा विलेख संख्या 81 दिनांक 01/06/2017 जारी द्वारा ग्राम पंचायत भीम से व्यथित होकर

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार
2— श्री श्यामसुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02
3— अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 पट्टा विलेख संख्या 81 दिनांक 01/06/2017 जारी द्वारा ग्राम पंचायत भीम के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा राजस्व ग्राम भीम की आराजी नम्बर 8765 में एक पट्टा विपक्षी संख्या 2 के नाम पर 30 गुणित 90 लम्बाई चोड़ाई का पट्टा जारी किया गया है जो दिनांक 01.06.2017 को पट्टा संख्या 81 के रूप में विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है जबकि उक्त भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। उक्त भूमि में बाबा रामदेव का मन्दिर व सराय बनी हुई है तथा मन्दिर समिति ने 09 दुकानें निर्मित कर रखी है। उक्त भूमि निगराकार बाबा रामदेव के रही है लेकिन ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि का पट्टा विपक्षी संख्या 2 के नाम पर जारी किया गया है उसके विरूद्ध यह निगरानी याचिका इन आधारों पर प्रस्तुत है कि वादग्रस्त भूमि एक तलिये के रूप में सन 1963 में स्थित थी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जिसका बयनामा 99 रूपये में तलिये के मालिक एवं कब्जेदार जोधसिंह पिता मऊसिंह, उदा पिता रामा व काना पिता भेरा, जाति रावत निवासी भीम वाड़िया उदा माना का कोट, तहसील भीम द्वारा अपने हक अधिकार एवं कब्जे आधिपत्य का तलिया जमीन नामी पाटिया का चौड़ा नेशनल हाईवे से सटमा भीम से बरार जाने वाली रोड़ पर उक्त भूखण्ड को 99 रूपये में पंचायत मेग चालान मौजा मण्डला वालों के हक में उक्त तलिये को मन्दिर श्री रामदेवजी महाराज का बनाने के लिये विक्रय की थी और इसका विधिवत बयनामा बजाब्ता स्टाम्प पर निष्पादित किया था। उक्त विक्रय की गयी भूमि 28 गज गुणित 50 गज लम्बाई चौड़ाई में स्थित थी। 50 गज सड़क पर तथा 28 गज गहराई में उक्त भूखण्ड को रामदेवजी महाराज का मन्दिर बनाने के लिये सभी पंच मेघवाल समाज मण्डला द्वारा क्रय की गयी थी। भूखण्ड के पड़ौस पूर्व में नेशनल हाईवे नम्बर 8. पश्चिम में मगरी, उत्तर में हीरालाल मांडोत का तलिया व दक्षिण में मोटाराम भाट का मकान स्थित हैं उक्त पड़ोसों के मध्य समस्त मेघवाल सालवी समाज मण्डला भीम द्वारा क्रय किया था तथा समाज द्वारा ही इस तलिये पर बाबा रामदेव का मन्दिर निर्मित करवाया तथा एक सराय, रोड़ पर प्रवेश द्वार एवं उसके दोनों तरफ 09 दुकानें बना रखी है तथा उक्त 9 दुकानों को समाज के प्रतिनिधियों ने ही किराये पर दे रखी है और जो किराया आता है, वह समाज के सदस्यों द्वारा मन्दिर के विकास हेतु लगाया जाता हैं लेकिन उक्त भूमि बाबा रामदेव के मन्दिर की होते हुए भी ग्राम पंचायत ने इसका पट्टा दुर्गाप्रसाद पिता कल्लाराम के नाम पर जारी कर दिया जो विधि के विपरीत है। दुर्गाराम पिता कल्लाराम मूल भीम का निवासी ही नहीं है। वह तो बागमाल, तहसील टाटगढ का निवासी है लेकिन वह भीम में आकर अभी कुछ समय से ही रह रहा है और हमारे समाज का ही सदस्य होने से उसे भी समाज के सदस्य के रूप में उक्त मन्दिर को संभालने का चार्ज दिया था लेकिन उसने मन्दिर की सम्पत्ति को हड़पने के लिये उक्त मन्दिर परिसर व इसके आगे बनी हुई दुकानों को हड़पने के उद्देश्य से पट्टा मन्दिर के नाम पर नहीं बनाकर ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर अपने व्यक्तिगत नाम से जारी करवा दिया है जो विधि के विपरीत है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत जारी करवाया है लेकिन उसकी शर्तों की कोई पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गयी है न तो आवेदन पत्र पेश हुआ है न पत्रावली कायम की गयी है न मौका रिपोर्ट बनाई गई है न ही आपत्ति निकाली गयी बल्कि सारी कार्यवाही एक ही दिन में ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित कर पुरानी तारीख में यह पट्टा निःशुल्क जारी कर दिया गया। पंचायत को आराजी नम्बर 8765 में उक्त पट्टा जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं हैं ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा ही न केवल विधि के विपरीत है बल्कि अपने क्षेत्राधिकार से परे है। आराजी नम्बर 8765 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा भूमि पट्टा जारी करने की दिनांक 01.06. 2017 को बिलानाम गैर काबिल काश्त के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी और बिलानाम जमीन पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह पट्टा भी ग्राम पंचायत ने निःशुल्क जारी किया है तथा मौके पर मन्दिर, सराय, दुकानें निर्मित होते हुए भी भूखण्ड बताते हुए भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। जो विधि के विपरीत है। उक्त मन्दिर की सराय मन्दिर निर्माण करने के उपरान्त पूर्व विधायक लक्ष्मणसिंह द्वारा अपने विधायक फण्ड से उक्त मन्दिर के पास उक्त भूमि में सराय निर्मित करवायी थी। इस प्रकार इस मन्दिर परिसर में न केवल समाज के पैसे बल्कि राज्य सरकार के पैसे भी विनियोजित कर रखे हैं और उक्त सारे तथ्यों की जानकारी होते हुए भी ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में यह पट्टा जारी कर दिया है जो अवैध व विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि का एक भाग प्रस्तावित नेशनल हाईवे फोरलेन निर्माण की अवाप्ति में आ रहा है इसलिये भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से विपक्षी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत से

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मिलीभगत कर यह पट्टा अपने नाम पर जारी करवा दिया जिससे कि लाखों रूपयों का मुआवजा विपक्षी संख्या 2 उक्त पट्टे के आधार पर मन्दिर की सम्पत्ति का अपने नाम से प्राप्त कर सके इसी उद्देश्य से यह पट्टा जारी करवाया है। निगराकार मेघवाल समाज का सदस्य है तथा मन्दिर परिसर की बनी हुई कमेटी में भी सदस्य हैं भगवान रामदेवजी का उपासक व संन्त है और मन्दिर परिसर में सदा भगवान की सेवा पूजा आराधना करने के लिये स्वयं उपस्थित रहता है और उसका कोई निजी हित नहीं है। इसलिये श्री रामदेवजी महाराज मन्दिर शाश्वत नाबालिग की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु यह निगरानी याचिका जरिये उपासक/प्रतिनिधि प्रस्तुत की जा रही है। उक्त पट्टे की जानकारी होने पर प्रार्थी व समाज के प्रतिनिधि ने श्रीमान जिला कलेक्टर, राजसमन्द एवं सरपंच ग्राम पंचायत, भीम के यहां पर भी प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत भीम द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की और उक्त पट्टे को आज तक निरस्त नहीं किया है इस कारण से उक्त पट्टे को निरस्त करवाया जाना आवश्यक हैं। उक्त पट्टे की जानकारी दिनांक 08.01.2018 को प्रथम बार हुई थी और उसी दिन ग्राम पंचायत में इसके संबंध में आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गयी जिस पर उक्त पट्टे को निरस्त कराना आप न्यायालय से आवश्यक हो गया हैं इस संबंध में आपत्ति श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजसमन्द के यहा पर भी समस्त ग्रामवासियों ने पेश की थी लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होने से यह जा रही है जो जानकारी से अन्दर मियाद है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये उक्त पट्टा संख्या 81 दिनांक 01/06/2017 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि का पट्टा बाबा रामदेव/समस्त पंच मेघवाल समाज मण्डला भीम के नाम पर जारी करने का आदेश ग्राम पंचायत को प्रदान किया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। ग्राम पंचायत भीम से पट्टा पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित रहा। तथा अप्रार्थी 02 संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर पालीवाल द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थित दी।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रारम्भिक आपति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रारम्भिक आपति के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपति प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दु सारहीन व पोषणीय नहीं होने से प्रारम्भिक आपति प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। व मूल निगरानी याचिका पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा राजस्व ग्राम भीम की आराजी नम्बर 8765 में एक पट्टा विपक्षी संख्या 2 के नाम पर 30 गुणित 90 लम्बाई चोड़ाई का पट्टा जारी किया गया है जो दिनांक 01.06.2017 को पट्टा संख्या 81 के रूप में विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है जबकि उक्त भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। उक्त भूमि में बाबा रामदेव का मन्दिर व सराय बनी हुई है तथा मन्दिर समिति ने 09 दुकानें निर्मित कर रखी है। उक्त भूमि निगराकार बाबा रामदेव के रही है लेकिन ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि का पट्टा विपक्षी संख्या 2 के नाम पर जारी किया गया है उसके विरूद्ध यह निगरानी याचिका प्रस्तुत कि गयी है। वादग्रस्त भूमि एक तलिये के रूप में सन 1963 में स्थित थी जिसका बयनामा 99 रूपये में तलिये के मालिक एवं कब्जेदार जोधसिंह पिता

न्यायालय जिला कलेक्टर राजसमन्द (राज.)

मऊसिंह, उदा पिता रामा व काना पिता भेरा, जाति रावत निवासी भीम वाड़िया उदा माना का कोट, तहसील भीम द्वारा अपने हक अधिकार एवं कब्जे आधिपत्य का तलिया जमीन नामी पाटिया का चौड़ा नेशनल हाईवे से सटमा भीम से बरार जाने वाली रोड़ पर उक्त भूखण्ड को 99 रूपये में पंचायत मेग चालान मौजा मण्डला वालों के हक में उक्त तलिये को मन्दिर श्री रामदेवजी महाराज का बनाने के लिये विक्रय की थी और इसका विधिवत बयनामा बजाब्ता स्टाम्प पर निष्पादित किया था। उक्त विक्रय की गयी भूमि 28 गज गुणित 50 गज लम्बाई चौड़ाई में स्थित थी। 50 गज सड़क पर तथा 28 गज गहराई में उक्त भूखण्ड को रामदेवजी महाराज का मन्दिर बनाने के लिये सभी पंच मेघवाल समाज मण्डला द्वारा क्रय की गयी थी। भूखण्ड के पड़ौस पूर्व में नेशनल हाईवे नम्बर 8. पश्चिम में मगरी, उत्तर में हीरालाल मांडोत का तलिया व दक्षिण में मोटाराम भाट का मकान स्थित हैं उक्त पड़ोसों के मध्य समस्त मेघवाल सालवी समाज मण्डला भीम द्वारा क्रय किया था तथा समाज द्वारा ही इस तलिये पर बाबा रामदेव का मन्दिर निर्मित करवाया तथा एक सराय, रोड़ पर प्रवेश द्वार एवं उसके दोनों तरफ 09 दुकानें बना रखी है लेकिन उक्त भूमि बाबा रामदेव के मन्दिर की होते हुए भी ग्राम पंचायत ने इसका पट्टा दुर्गाप्रसाद पिता कल्लाराम के नाम पर जारी कर दिया जो विधि के विपरीत है। दुर्गाराम पिता कल्लाराम मूल भीम का निवासी ही नहीं है। वह तो बागमाल, तहसील टाटगढ का निवासी है लेकिन उसने मन्दिर की सम्पत्ति को हड़पने के लिये उक्त मन्दिर परिसर व इसके आगे बनी हुई दुकानों को हड़पने के उद्देश्य से पट्टा मन्दिर के नाम पर नहीं बनाकर ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर अपने व्यक्तिगत नाम से जारी करवा दिया है जो विधि के विपरीत है। है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत जारी करवाया है लेकिन उसकी शर्तों की कोई पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गयी है न तो आवेदन पत्र पेश हुआ है न पत्रावली कायम की गयी है न मौका रिपोर्ट बनाई गई है न ही आपत्ति निकाली गयी बल्कि सारी कार्यवाही एक ही दिन में ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित कर पुरानी तारीख में यह पट्टा निःशुल्क जारी कर दिया गया। पंचायत को आराजी नम्बर 8765 में उक्त पट्टा जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं हैं ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा ही न केवल विधि के विपरीत है बल्कि अपने क्षेत्राधिकार से परे है। आराजी नम्बर 8765 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा भूमि पट्टा जारी करने की दिनांक 01.06. 2017 को बिलानाम गैर काबिल काश्त के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी और बिलानाम जमीन पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह पट्टा भी ग्राम पंचायत ने निःशुल्क जारी किया है तथा मौके पर मन्दिर, सराय, दुकानें निर्मित होते हुए भी भूखण्ड बताते हुए भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। जो विधि के विपरीत है। उक्त भूमि का एक भाग प्रस्तावित नेशनल हाईवे फोरलेन निर्माण की अवाप्ति में आ रहा है इसलिये भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से विपक्षी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर यह पट्टा अपने नाम पर जारी करवा दिया जिससे कि लाखों रूपयों का मुआवजा विपक्षी संख्या 2 उक्त पट्टे के आधार पर मन्दिर की सम्पत्ति का अपने नाम से प्राप्त कर सके इसी उद्देश्य से यह पट्टा जारी करवाया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये उक्त पट्टा संख्या 81 दिनांक 01/06/2017 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि का पट्टा बाबा रामदेव/समस्त पंच मेघवाल समाज मण्डला भीम के नाम पर जारी करने का आदेश ग्राम पंचायत को प्रदान किया जावे।

गैर निगराकार/विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा राजस्व ग्राम भीम की आराजी नम्बर 8765 में एक पट्टा विपक्षी संख्या 2 के नाम पर 30 गुणित 90 लम्बाई चोड़ाई का पट्टा जारी किया गया है जो

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

दिनांक 01.06.2017 को पट्टा संख्या 81 के रूप में विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है उक्त भूमि का पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को पूर्ण अधिकार होने से जारी किया गया। प्रार्थी निगराकार की कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है। तथा निगराकार को रिवीजन पेश करने का कोई अधिकार नहीं है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जो दुर्गाप्रसाद पिता कल्लाराम सालवी के पक्ष में नियमानुसार व विधिनुकुल पट्टा जारी किया गया है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

मैनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विचाराधीन निगरानी याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की गयी कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा श्री दुर्गाप्रसाद पिता कल्लाराम सालवी के पक्ष में प्रश्नगत पट्टा क्रमांक 81 दिनांक 01.06.2017 को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157(1) में वर्णित शर्तो की पालना नहीं की गयी अतः प्रश्नगत पट्टा क्रमांक 81 दिनांक 01.06.2017 को अपास्त फरमाया जावे।

इस क्रम में पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा श्री दुर्गाप्रसाद पिता कल्लाराम सालवी को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टे में पंचायत के संकल्प संख्या 01 दिनांक 01.06.2017 की पालना में उक्त पट्टा जारी करने का उल्लेख हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) मे "जहां व्यक्ति आबादी भूमि मे पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक है उन्हे निर्धारित शुल्क लेकर पट्टा जारी किया जा सकता है राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.01.2010 व 01.01.2013 के अनुसार आबादी भूमि मे पुराने गृहो का पट्टा देने से पूर्व स्थल निरीक्षण किया जाना एवं पुराने गृह का विद्यमान होना आवश्यक है" ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गई परन्तु ग्राम पंचायत भीम के पत्र दिनांक 24.09.2021 द्वारा मूल पट्टा पत्रावली उपलब्ध नही होना अंकित किया गया। श्री दुर्गाप्रसाद के पक्ष में जारी पट्टे संख्या 81 दिनांक 01.06.2017 का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा का राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया एवं श्री दुर्गाप्रसाद द्वारा उक्त पट्टे का दिनांक 05.07.2017 को पंजीयन करवाया गया। उक्त पंजीयन विलेख में मौके पर आवासीय भूखण्ड होने का उल्लेख किया गया।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने गृह जो कि 30 वर्ष/50 वर्ष पुराने निर्मित होने पर ही पट्टा जारी किया जाता है। जबकि आवासीय भूखण्ड होने पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 143 से 155 के मध्य विहित प्रक्रिया यथा कमेठी द्वारा स्थल निरीक्षण, आपत्ति आव्हान, पंचायत की बैठक में विधिवत प्रस्ताव लेकर ही आवासीय पट्टा जारी करने के प्रावधान हैं। प्रश्नगत पट्टे के बाबत ग्राम पंचायत से न्यायालय द्वारा मूल पट्टा पत्रावली तलब किये जाने पर भी कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया गया तथा यह जानकारी दी गई कि ग्राम पंचायत के कार्यालय के रिकॉर्ड में मूल पट्टा पत्रावली उपलब्ध नही हैं।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 155 तक ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के रिक्त भूखण्ड को विक्रय करने बाबत विस्तृत प्रावधान दिये गये है उक्त प्रावधानो में विहित प्रक्रिया की पालना करने तथा नियम 152 मे नियत बाजार कीमत पर खुली निलामी द्वारा विक्रय किये जाने के प्रावधान है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 155 में विहीत की गई प्रक्रिया की पालना नही की गई। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) की आड में पुराना गृह दर्शा कर रिक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया। जो कि विधि अनुरूप नही हैं। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधि अनुरूप नही होने से खारिज योग्य हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 81 दिनांक 01.06.2017 को निरस्त किया जाता है। वर्तमान में ग्राम पंचायत भीम, नगरपालिका भीम में क्रमोन्नत होने से निर्णय की प्रति नगरपालिका भीम को भिजवायी जावे। एवं नगरपालिका भीम को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौका जांच कर अवैध कब्जा पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 03.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद